न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 55/2024/अपील/आर्म्स एक्ट/कोटा
दायरा दिनांक : 22.07.2024
अन्तर्गत धारा : धारा 18 आयुध अधिनियम

उनवान

दिनेश शर्मा पुत्र स्व0 श्री मूलचंद शर्मा निवासी पुराना आर.टी.ओ. बिल्डिंग, सरस्वती कोलोनी, बारां रोड़, पुलिस थाना बोरखेड़ा, जिला कोटा

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, कोटा

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री वीरेन्द्र कुमार राठौर, अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 23.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा के आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2024/275 दिनांक 31.05.2024 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम में इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 31.05.2024 से अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने से चाल चलन आपराधिक प्रकृति का प्रकट होना वर्णित करते हुए तथा पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर द्वारा भी लाईसेंस को निरस्त करने की अनुशंषा किये जाने पर तदनुसार अपीलार्थी श्री दिनेश शर्मा पुत्र स्व0 मूल चन्द शर्मा निवासी पुराना आर0टी0ओ0 बिल्डिंग, सरस्वती कॉलोनी, बारां रोड़, पुलिस थाना बोरखेड़ा, कोटा का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 647 को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया। साथ ही लाईसेंस पर दर्ज एक एन0पी0बोर 0.32 रिवाल्वर संख्या 59125 को थाना बोरखेड़ा में जमा करवाये जाने का आदेश पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.05.2024 से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश विधि, न्याय व कानून के

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत बिना सुनवाई/स्पष्टीकरण/जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना एक पक्षीय रूप से दुर्भाविक रूप से शिकायत के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने में कानूनी रूप से त्रुटि की हैं। शिकायतकर्ता मन्जूर आलम की तथाकथित शिकायत पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा–पत्र निरस्त किया गया है। उक्त शिकायतकर्ता पूर्व से ही अपीलार्थी के विरूद्ध दुर्भावना व सम्पत्ति के विवाद को लेकर शिकायत करता रहा हैं। उक्त शिकायतकर्ता ने दिनांक 13.04.2016 को भी अनुज्ञा पत्र निरस्त करने हेतु शिकायत की गई थी और उक्त शिकायत को बेबूनियादी व आधारहीन मानते हुये शस्त्र अनुज्ञा–पत्र का नवीनीकरण किया गया था। उक्त शिकायतकर्ता ने दिनांक 16.07.2016 को भी सूचना के अधिकार के अन्तर्गत दस्तावेज प्राप्त कर शिकायत की गई थी। इससे पूर्व भी शिकायतकर्ता ने दिनांक 07.12.2015 को नवीनीकरण के समय शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता ने वर्ष 2019, 2020 व 2021 में शिकायत की गई और उक्त शिकायत को भी बेबूनियाद मानते हुये प्रार्थी के अनुज्ञा–पत्र को समय–समय पर नवीनीकरण किया गया और उन्हीं तथ्यों के आधार पर पुनः दिनांक 27.05.2024 को शिकायत की गई। जिसके आधार पर अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को एक पक्षीय रूप से दिनांक 31.05.2024 को निरस्त कर दिया। अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण दिनांक 31.12.2026 तक हैं तथा लाईसेन्स की समाप्ति से पूर्व यदि कोई शिकायत करता हैं तो इस बाबत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक हैं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत बिना सुनवाई का अवसर दिये एक पक्षीय रूप से निरस्त करने में त्रुटि की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने मुकदमा संख्या 44/2000, मुकदमा संख्या 60/2000, मुकदमा संख्या 486/2014 आदि प्रकरणों को आधार मानते हुये अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया हैं, जबकि उक्त प्रकरण के पश्चात् अपीलार्थी का तीन मर्तबा नवीनीकरण हो चुका हैं तथा उपरोक्त वर्णित प्रकरणों के बाबत् पुलिस अधीक्षक महोदय ने दिनांक 20.02.2019 को नवीनीकरण करने की अनुशंसा कर रखी है और अपनी अनापत्ति दर्शा रखी हैं। इस प्रकार उन्ही प्रकरणों को लेकर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया गया है। शिकायतकर्ता मन्जूर आलम की पत्नी शबाना आलम के विरूद्ध अपीलार्थी ने उनके मिल्कियत भू–भाग पर निर्माण करने पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश, कोटा में वाद संख्या 128/2013 जिसका वर्तमान नम्बर 1443/2014 प्रस्तुत कर रखा हैं और उक्त वाद में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 3, कोटा ने निर्णय दिनांक 28.11.2013 के द्वारा पट्टशुदा भू–भाग से अधिक भू–भाग पर निर्माण ना करने बाबत् निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा हैं तथा शिकायतकर्ता मन्जूर आलम की पत्नी के विरूद्ध न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर कन्टेम्प्ट ऑफ कॉर्ट की कार्यवाही भी प्रस्तुत कर रखी है। इस प्रकार उसी दुर्भावना से झूठी शिकायत की गई हैं। अपीलार्थी की

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

माता सरस्वती देवी की खसरा नम्बर 499 की भूमि पर शबाना आलम, पवन त्यागी, अनुराग शर्मा, बबीता त्यागी, आदि व्यक्ति आपस में षडयंत्र करके अपीलार्थी की माता की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हैं। जिस हेतु न्यायालय ने पवन त्यागी को निर्णय दिनांक 21.05.2009 से पाबन्द कर रखा है, जिसकी अपील पवन त्यागी ने न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 4 कोटा में प्रस्तुत कर रखी हैं, जो कि विचाराधीन हैं। अनुराग शर्मा व पवन त्यागी ने अपीलार्थी की पारिवारिक गैस एजेन्सी के गोदाम हटाने के बाबत् न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम 4, कोटा में वाद प्रस्तुत कर रखा हैं। इसी प्रकार पवन त्यागी की पत्नी बबीता त्यागी ने अपीलार्थी की माता के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर रखा हैं, जिस पर उसका अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन दिनांक 19.08.2024 को खारिज हो चुका हैं, जिसकी अपील लम्बित है। मन्जूर आलम ने अपीलार्थी के विरूद्ध तथाकथित शिकायतो के आधार पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम 3 उत्तर कोटा में वाद संख्या 05/2018 प्रस्तुत कर रखा हैं। न्यायालय ने अपीलार्थी की माता सरस्वती देवी के पक्ष में खसरा नम्बर 499 रकबा 0.41 हैक्टेयर के बाबत् उत्तरी पश्चिमी कोने पर 6 मीटर एवं दक्षिणी पश्चिमी कोने पर 22 मीटर भूमि को अपीलार्थी की माता की सम्पत्ति माना हैं और उक्त निर्णय से शिकायतकर्ता मन्जूर आलम की पत्नी शबाना, पवन त्यागी, बबीता त्यागी, अनुराग त्यागी, रामेश्वर के पुत्र आदि सभी के भूखण्ड प्रभावित हो गये हैं और उसी द्वेषता के कारण अपीलार्थी व उसके परिवारजन के विरूद्ध आये दिन झूठे मुकदमें दर्ज करवाते आ रहे है। शिकायतकर्ता के द्वारा जिन भी मुकदमों का वर्णन किया हैं उन सब मुकदमों में फरियादी व गवाह शबाना, पवन त्यागी, बबीता त्यागी, अनुराग त्यागी, रामेश्वर के पुत्र आदि हैं और समस्त प्रथम सूचना रिपोर्ट उक्त 6 मीटर व 22 मीटर भूमि को लेकर हैं और लगातार शिकायतकर्ता व उपरोक्त व्यक्ति अपीलार्थी व उसके परिवारजन के विरूद्ध लड़ाई झगड़ा कर रिपोर्ट दर्ज करवाते आ रहे हैं। शिकायतकर्ता व आदेश में वर्णित किसी भी प्रकरण में शस्त्र का उपयोग नही किया गया हैं। अपीलार्थी के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों ने जो मुकदमा दर्ज करवाया हैं, उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रकरण किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज नही करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना पत्रावली का अवलोकन किये उक्त आदेश पारित किया हैं। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध ऐसे कोई साक्ष्य नही हैं, जिससे कि आमजन भयभीत हो और ऐसा कोई अपराध नही हैं, जो कि किसी के जीवन की असुरक्षा पैदा करता हों। सम्पत्ति को लेकर झूठी रिपोटें दर्ज करवाई गई हैं जो कि आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया गया हैं वह एक ही ग्रुप के द्वारा दर्ज करवाया गया हैं, जो कि आपस में फरियादी व गवाह हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 31.05.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत बिना सुनवाई/स्पष्टीकरण/जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना एक पक्षीय रूप से दुर्भाविक रूप से शिकायत के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने में विधिक त्रुटि की हैं। अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण दिनांक 31.12.2026 तक हैं तथा लाईसेन्स की समाप्ति से पूर्व यदि कोई शिकायत करता हैं तो इस बाबत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक हैं। शिकायतकर्ता मन्जूर आलम की तथाकथित शिकायत पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा–पत्र निरस्त किया गया है। उक्त शिकायतकर्ता पूर्व से ही अपीलार्थी के विरूद्ध दुर्भावना व सम्पत्ति के विवाद को लेकर शिकायत करता रहा हैं। शिकायतकर्ता ने वर्ष 2019, 2020 व 2021 में शिकायत की गई और उक्त शिकायत को भी बेबूनियाद मानते हुये अपीलार्थी के अनुज्ञा–पत्र को समय–समय पर नवीनीकरण किया गया और उन्हीं तथ्यों के आधार पर पुनः दिनांक 27.05.2024 को शिकायत की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने मुकदमा संख्या 44/2000, मुकदमा संख्या 60/2000, मुकदमा संख्या 486/2014 आदि प्रकरणों को आधार मानते हुये अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया हैं, जबकि उक्त प्रकरण के पश्चात् अपीलार्थी का तीन मर्तबा नवीनीकरण हो चुका हैं तथा उपरोक्त वर्णित प्रकरणों के बाबत् पुलिस अधीक्षक महोदय ने दिनांक 20.02.2019 को नवीनीकरण करने की अनुशंसा कर रखी है और अपनी अनापत्ति दर्शा रखी हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना पत्रावली का अवलोकन किये उक्त आदेश पारित किया हैं। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध ऐसे कोई साक्ष्य नही हैं, जिससे कि आमजन भयभीत हो और ऐसा कोई अपराध नही हैं, जो कि किसी के जीवन की असुरक्षा पैदा करता हों। सम्पत्ति को लेकर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई हैं एवं जो आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाये गये है, वे एक ही ग्रुप के द्वारा दर्ज करवाया गया हैं, जो कि आपस में फरियादी व गवाह हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 31.05.2024 को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत 2012(4) CDR 2247 (Raj.), 2022(1) DNJ [Raj.] Page No. 61 पेश किये।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने से चाल चलन आपराधिक प्रकृति का प्रकट होना वर्णित करते हुए तथा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर द्वारा भी लाईसेंस को निरस्त करने की अनुशंषा किये जाने पर तदनुसार आदेश दिनांक 31.05.2024 से शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेसपो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 31.05.2024 से अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने से चाल चलन आपराधिक प्रकृति का प्रकट होना वर्णित करते हुए तथा पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर द्वारा भी लाईसेंस को निरस्त करने की अनुशंषा किये जाने पर तदनुसार अपीलार्थी श्री दिनेश शर्मा पुत्र स्व0 मूल चन्द शर्मा निवासी पुराना आर0टी0ओ0 बिल्डिंग, सरस्वती कॉलोनी, बारां रोड़, पुलिस थाना बोरखेड़ा, कोटा का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 647 को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया। साथ ही लाईसेंस पर दर्ज एक एन0पी0बोर 0.32 रिवाल्वर संख्या 59125 को थाना बोरखेड़ा में जमा करवाये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में न्यायालय हाजा में अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत बिना सुनवाई/स्पष्टीकरण/जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना एक पक्षीय रूप से दुर्भाविक रूप से शिकायत के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया गया है, जबकि अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण दिनांक 31.12.2026 तक हैं तथा लाईसेन्स की समाप्ति से पूर्व यदि कोई शिकायत करता हैं तो इस बाबत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक हैं। शिकायतकर्ता मन्जूर आलम की तथाकथित शिकायत पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा–पत्र निरस्त किया गया है। उक्त शिकायतकर्ता पूर्व से ही अपीलार्थी के विरूद्ध दुर्भावना व सम्पत्ति के विवाद को लेकर शिकायत करता रहा हैं। शिकायतकर्ता ने वर्ष 2019, 2020 व 2021 में शिकायत की गई और उक्त शिकायत को भी बेबूनियाद मानते हुये अपीलार्थी के अनुज्ञा–पत्र को समय–समय पर नवीनीकरण किया गया और उन्हीं तथ्यों के आधार पर पुनः दिनांक 27.05.2024 को शिकायत की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने मुकदमा संख्या 44/2000, मुकदमा संख्या 60/2000, मुकदमा संख्या 486/2014 आदि प्रकरणों को आधार मानते हुये अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया हैं, जबकि उक्त प्रकरण के पश्चात् अपीलार्थी का तीन मर्तबा नवीनीकरण हो चुका हैं तथा उपरोक्त वर्णित प्रकरणों के बाबत् पुलिस अधीक्षक महोदय ने दिनांक 20.02.2019 को नवीनीकरण करने की अनुशंसा कर रखी है और अपनी अनापत्ति दर्शायी हैं।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि शिकायतकर्ता मंजूर आलम पुत्र स्व0 अशरफ अली निवासी मकान नं0 33, आकाशवाणी कॉलोनी, कोटा राजस्थान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दैनिक सुनवाई के दौरान प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.05.2024 को पेश किया गया। जिसमें वर्णित किया गया कि अपीलार्थी दिनेश शर्मा के विरूद्ध लड़ाई–झगड़े के फौजदारी प्रकरण निरंतर दर्ज होते रहे हैं तथा अवैध जमीनो पर कब्जा करने का प्रयास करता है। दिनेश शर्मा तथा प्रार्थी की पत्नी के मध्य दीवानी मुकदमें भी न्यायालय में जेरकार है, जिससे रंजिशवश दिनेश शर्मा कोई बड़ी घटना कारित कर सकता है। उक्त शिकायत के संबंध में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा के द्वारा पत्रांक न्याय/आर्म्स/2024/266 दिनांक 27.05.2024 से पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर से अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज जैरकार फौजदारी कार्यवाहियां/प्रकरणों के संबंध में रिपोर्ट के साथ लाईसेंस निरस्त करने या नहीं करने के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट चाही गई। जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर के द्वारा पत्रांक कोश/परामर्श/आर्म्स/2024/1441 दिनांक 30.05.2024 से शिकायतकर्ता के द्वारा जिला स्तरीय जनसुनवाई दिनांक 16.05.2024 के दौरान प्रस्तुत उसी शिकायत के संदर्भ में प्रस्तुत रिपार्ट क्रमांक 1389 दिनांक 25.05.2024 से अपीलार्थी श्री दिनेश शर्मा को स्वीकृत आर्म्स लाईसेंस संख्या 647/1999 को निरस्त करने की अनुशंषा की गई। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 31.05.2024 से अपीलार्थी का उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र प्रस्तुत शिकायत के संबंध में पुलिस अधीक्षक कोटा शहर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार निरस्त किया जाना प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा निर्णय दिनांक 31.05.2024 के अवलोकन से अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाना प्रकट होता है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी के उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र के संबंध में प्रस्तुत शिकायत पर निर्णय किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को विधिवत रूप से नोटिस दिया जाकर सुनवाई किया जाना आवश्यक था। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का न्यायालय हाजा में कथन रहा है कि उसके द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र को दिनांक 31.12.2026 तक नवीनीकृत करवाया हुआ है। साथ ही अपीलार्थी का यह भी कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिन मुकदमों (मुकदमा संख्या 44/2000, मुकदमा संख्या 60/2000, मुकदमा संख्या 486/2014) का पुलिस अधीक्षक कोटा शहर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 31.05.2024 में विवेचन किया गया है, उक्त प्रकरण के पश्चात् अपीलार्थी का तीन बार नवीनीकरण हो चुका हैं तथा उपरोक्त वर्णित प्रकरणों के बाबत् पुलिस अधीक्षक ने पूर्व में दिनांक 20.02.2019 को नवीनीकरण करने की अनुशंसा कर रखी हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को शिकायती प्रार्थना–पत्र के संबंध में पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के उपरांत प्राकृतिक न्याय की दृष्टि

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

से सुनवाई एवं अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य/दस्तावेज पेश किये जाने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.05.2024 को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। लिहाजा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.05.2024 विधिविरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष/साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा